सं0 सं0–05/प्रशि0 (शिक्षु)–01–2022 **Part-III** – 129

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड राँची।

प्रेषकः–

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

सेवा में, **संबंधित जिला नियोजन/नियोजन पदाधिकारी,**
जिला नियोजन कार्यालय,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30/1/23

विषयः– **दिनांक 13.02.2023 को PM Apprenticeship Mela आयोजित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– DGT Computer No- 50137 दिनांक 19.05.2022, 501376 दिनांक 18.01.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड द्वारा राज्य के राँची/हजारीबाग/धनबाद/बोकारो/खूँटी/चतरा/लातेहार एवं रामगढ़ जिलों में दिनांक 13.02.2023 को प्रतिष्ठानों में अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु PM Apprenticeship Mela आयोजित किया जाना है। अप्रेन्टिसशिप मेला को सफल बनाने हेतु निम्नानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

1– अप्रेन्टिसशिप मेले के सफल आयोजन हेतु बैनर/पैम्फलेट आदि की समुचित व्यवस्था करते हुए योजना का वृहत प्रचार–प्रसार किया जाय।

2– अप्रेन्टिसशिप मेला में छात्रों की अधिक संख्या एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए शांति व्यवस्था हेतु दण्डाधिकारी के साथ पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

3– अपने जिले/प्रक्षेत्र में अवस्थित, एक्ट के अंतर्गत आने वाले, MSME/Manufacturing Sector/Service Sector/एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान/उपक्रम यथा– होटल/रेस्टोरेंट/शॉपिंग मॉल/हॉस्पिटल/कोचिंग सेन्टर/ऑथोराईज्ड सर्विस सेन्टर/बैंक इत्यादि को अप्रेन्टिसशिप मेले में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाय एवं अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

4– अपने जिले के तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों (आई0 टी0 आई0/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/Short term Skill etc.) एवं गैर–तकनीकी छात्रों (5 वीं से स्नातक आदि) से सम्पर्क स्थापित कर अप्रेन्टिसशिप मेले में भाग लेने हेतु आमंत्रित करते हुए अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

5–अप्रेन्टिसशिप मेला की उपलब्धि अप्रेन्टिसशिप पोर्टल https://dgt.gov.in/appmela/coordinator/ पर Login कर अपडेट करते हुए उसी दिवस को RDSDE एवं निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

6–सचिव (श्रम) के निदेश के अनुपालन में निदेशालय पत्रांक 106 दिनांक 20.01.2023 के अनुसार प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे, एवं मेला में रिक्तियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।

7– मेला में हुए व्यय का वहन निदेशालय पत्रांक 615 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार किया जायेगा।

अतएव निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/ संबंधित सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु)/क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड के पदाधिकारी/जिला कारखाना निरीक्षक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द से समन्वय स्थापित कर अपने जिले/प्रक्षेत्रों में अवस्थित सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों/MSME प्रतिष्ठानों एवं प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण करवाना प्रारंभ करेंगे ताकि अधिकाधिक संख्या में उद्योगों एवं प्रशिक्षणार्थियों का निबंधन हो सके एवं छात्रों को अप्रेन्टिसशिप की सुविधा प्रदान हो सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-II** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निदेशालय पत्रांक 106 दिनांक 20.01.2023 के अनुसार प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे, एवं मेला में रिक्तियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-II** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः— संबंधित प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने संस्थान के उत्तीर्ण/प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को मेला में भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-III** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः—सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) दुमका/रॉंची/आदित्यपुर/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने प्रक्षेत्रों में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं MSME प्रतिष्ठानों की सूची संबंधित Centre co-ordinator को उपलब्ध कराते हुए उक्त मेले में भाग लेना सुनिश्चित कराया जाय।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-III** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः— उप निदेशक नियोजन (मु0), निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, रॉंची/संबंधित सहायक निदेशक नियोजन, अवर प्रादेशिक नियोजनालय/संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-III** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय निदेशक, RDSDE झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मेले में अपने पदाधिकारी को नामित करने की कृपा की जाय।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-III** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः—श्रमायुक्त, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित कारखाना निरीक्षक को उक्त मेले में भाग लेते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं MSME प्रतिष्ठानों की सूची संबंधित Centre co-ordinator को उपलब्ध कराते हुए उक्त मेले में भाग लेना सुनिश्चित कराने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांकः— 05/प्रशि0 (शिक्षु)—01—2022 **Part-III** —129 रॉंची, दिनांक 30/11/23

प्रतिलिपिः— निदेशक, उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उक्त मेले में भाग लेते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं MSME प्रतिष्ठानों की सूची संबंधित Centre co-ordinator को उपलब्ध कराते हुए उक्त मेले में भाग लेना सुनिश्चित कराने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, रॉंची।

राकेश

129
30/1/23

PMNAM Mela Center and Co-ordinator List - Date-13.02.2023- Jharkhand

Sl No.	State Name	District Name	Apprenticeship Mela Center Name	Name of the co-ordinator for the Centre	Designation	E mail Id	Mobile No
1	Jharkhand	RANCHI	Govt Industrial Training Institute, (General), RANCHI, Hehal ,Itki Raod, 834005	Sri Rajesh Kumar	Employment Officer	rajesh0kr0gupta@gmail.com	7033115157
2	Jharkhand	HAZARIBAGH	Govt Industrial Training Institute, HAZARIBAGH, NH-33, RANCHI-PATNA ROAD, SINDUR, HAZARIBAGH 825301	Smt. Jyotsna Das	District Employment Officer	jyotsnadas405@gmail.com	9835947062
3	Jharkhand	DHANBAD	Govt Industrial Training Institute, DHANBAD, Bartand,Near Bus Stand, Dhanbad, 826001	Sri Anand Kumar	Employment Officer	ananditer12@gmail.com	8092037554
4	Jharkhand	BOKARO	Govt. Industrial Training Institute, Bokaro, Chas-Bokaro, 827001	Sri santosh Kumar	Employment Officer	kuma.santosh.ks@gmail.com	9911874497 9122193661
5	Jharkhand	LATEHAR	Distict Employment Exchange, Latehar, DC Campus, SP Building, 829207	Sri Chetan Kr Sharma	District Employment Officer	deoemp031@gmail.com	8147130374
6	Jharkhand	KHUNTI	Women Govt Industrial Training Institute, KHUNTI, Karra Road, Khunti Jharkhand, 835210	Smt. Niru Kumari	Employment Officer	neerukumari796@gmail.com	7367958680
7	Jharkhand	CHATRA	Govt Industrial Training Institute, SIMARIA, CHATRA, P.O Simariya Dist Chatra, Jharkhand, 825103	Sri Manu Kumar	Employment Officer	mannueojamshedpur@gmail.com	8709898530 7301773722
8	Jharkhand	RAMGARH	Employment Exchange, RAMGARH, DEE Ramgarh, Murram kala near Ramgarh, Block-Ramgarh 829122	Sri Deo Kumar Prasad	Employment Officer	prasaddeokumar@gmail.com	9905110123

सं०सं०–5 / प्रशि०(शिक्षु०)–07 / 2022 106
झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु०)
निदेशालय, नियोजन, एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड राँची।

सेवा में,

सभी जिला नियोजन पदाधिकारी
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 20.01.23

विषयः– अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के तहत प्रतिष्ठानों का अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19.01.2023 को आहूत समीक्षात्मक बैठक में सचिव श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा सभी प्रतिष्ठानों का अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण जिला नियोजन पदाधिकारियों के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 150 प्रतिष्ठान एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। सचिव द्वारा नियोजन पदाधिकारियों के माध्यम से एक माह के भीतर 1500 प्रतिष्ठानों का एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। निदेश के आलोक में राज्य के निबंधित MSME/Manufacturing Sector/Service Sector एवं अन्य प्रतिष्ठानों / उपक्रमों यथा– होटल / रेस्टोरेंट / शॉपिंग मॉल / हॉसपिटल / कोचिंग सेन्टर / ऑथोराईज्ड सर्विस सेन्टर / बैंक इत्यादि का पंजीकरण अप्रेन्टिसशिप पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर कराया जाना है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सुलभ प्रसंग हेतु Apprenticeship Act एवं Establishment Manual की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने जिले में अवस्थित वैसे प्रतिष्ठान जो अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत आते हैं, उनका पंजीकरण अप्रेन्टिसशिप पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर कराना सुनिश्चित करें एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों की सूची संलग्न प्रपत्र में संबंधित सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) कार्यालय में दिनांक 28.01.2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु०)
निदेशालय, नियोजन, एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड राँची।

ज्ञापांकः– 5/ प्रशि०(शिक्षु)–07 / 2022 106

राँची, दिनांक 20.01.23

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु) दुमका / राँची / जमशेदपुर एवं आदित्यपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने प्रक्षेत्र में अवस्थित जिला नियोजन पदाधिकारियों से प्राप्त पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संलग्न प्रपत्र में समेकित सूची दिनांक 31.01.2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु०)
निदेशालय, नियोजन, एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड राँची।

Annex-I

Sl No	Name of Establishment	District	Establishment type	Code	Employees strength	No. of vacancies	Remarks

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड राँची।

का0 आ0 सं0– सं0 सं0– 5/प्रशि0(शिक्षु)–01/2022 **Part-III** –127 राँची, दिनांक 30/1/23

कार्यालय आदेश

"Apprentices Act 1961" के अन्तर्गत योजना का लाभ राज्य के अधिकाधिक प्रतिष्ठानों/उपकमों/छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान करने हेतु दिनांक 13.02.2023 को **PM Apprenticeship Mela PMNAM** का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष जिलों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। नामित पदाधिकारी संबंधित Centre Co-ordinator से सम्पर्क कर अधिक से अधिक छात्रों एवं Industry को मेला में भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।

कम सं0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	जिला का नाम
1	श्री निशिकान्त मिश्र	सहायक निदेशक नियोजन (मु0)	हजारीबाग/रामगढ़
2	श्री योगेन्द्र प्रसाद	सहायक निदेशक प्रशिक्षण (मु0)	राँची/खूँटी
3	श्री राहुल कुमार	नियोजन पदाधिकारी सेमी यूनिट (मु0)	चतरा/लातेहार
4	श्री पंकज कुमार गिरि	नियोजन पदाधिकारी (मु0)	धनबाद/बोकारो

प्रस्ताव में निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

30/1/23

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:– 5/प्रशि0(शिक्षु)–03/2021 **Part-III** –127 राँची, दिनांक 30/1/23

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अप्रेन्टिसशिप पोर्टल https://dgt.gov.in/appmela/nodal/ पर Login कर मेला संबंधित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

2. **क्षेत्रीय निदेशक, RDSDE,** झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/23

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

सं0 संख्या–5 / प्रशि(शिक्षु)–01 / 2022 **Part-III**
झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

निदेशालय पत्रांक –128 दिनांक 30/1/23

Apprenticeship Mela सूचना दिनांक 13.02.2023

"Apprentices Act 1961" के तहत Regular and contractual सहित 30 एवं 30 से अधिक कामगारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 2.5–15 प्रतिशत बैण्ड में अप्रेन्टिस रखना अनिवार्य है। एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिश्ठानों के लिए दण्ड का भी प्रावधान है।

MSDE भारत सरकार एवं श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड द्वारा राज्य के राँची / हजारीबाग / धनबाद / बोकारो / खूँटी एवं चतरा जिलों के नोडल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तथा लातेहार एवं रामगढ़ जिले के जिला नियोजनालयों में दिनांक 13.02.2023 को PM Apprenticeship Mela आयोजित किया गया है, जिसमें एक्ट के अंतर्गत आने वाले, राज्य के निबंधित MSME/Manufacturing Sector/Service Sector/एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान / उपक्रम यथा– होटल / रेस्टोरेंट / शॉपिंग मॉल / हॉस्पिटल / कोचिंग सेन्टर / ऑथोराईज्ड सर्विस सेन्टर / बैंक इत्यादि भाग लेकर अपना पंजीकरण करा सकते है, एवं Apprentices का चयन कर सकते है।

उपर्युक्त मेले में एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिश्ठानों एवं तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों (आई0 टी0 आई0 / डिप्लोमा / इंजीनियरिंग / Short term Skill etc.) एवं गैर तकनीकी छात्रों (5 वीं से स्नातक आदि) का अप्रेन्टिसशिप पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण कराया जायेगा, एवं आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेन्टिसों का चयन किया जायेगा।

अतः एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिश्ठान अप्रेन्टिसशिप Vacancy के साथ मेले में भाग लेना सुनिश्चित करें, एवं छात्रों / प्रशिक्षणार्थियों से अपील किया जाता है कि मेले में भाग लेकर योजना का सम्पूर्ण लाभ उठायें।

अधिक जानकारी के लिए नोडल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य / संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

अप्रेन्टिसशिप मेला में भाग लेने वाले नियोक्ताओं एवं अभ्यर्थियों को मेला स्थल पर झारखण्ड सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी अद्यतन SOP का पालन करना अनिवार्य है।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

सं0 सं0–05 / प्रशि0 (शिक्षु)–01–2022 **Part-III** – 130

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड राँची।

प्रेषकः–

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

"Apprentices Act" के अंतर्गत आने वाले
सभी प्रतिष्ठान
राँची / हजारीबाग / धनबाद /
बोकारो / खूँटी / चतरा / लातेहार एवं रामगढ
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30/1/23

विषयः– **दिनांक 13.02.2023 को PM Apprenticeship Mela में भाग लेने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योगों में कुशल कारीगरों की प्रबल माँग को देखते हुए "**Apprentices Act** 1961" की धारा 8 (3) के तहत **Regular and contractual** सहित 30 से अधिक कामगारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा 2.5–15 प्रतिशत बैण्ड में अप्रेन्टिस रखना अनिवार्य किया गया है, एवं 4 से 30 कामगारों वाले प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेन्टिस रखना एच्छिक किया गया है।

"**Apprentices Act** 1961" के अनुपालन में **MSDE** एवं श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड द्वारा राज्य के राँची / हजारीबाग / धनबाद / बोकारो / खूँटी / चतरा / लातेहार एवं रामगढ जिलों में दिनांक 13.02.2023 को **PM Apprenticeship Mela** आयोजित किया गया है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इस मेले में प्रतिष्ठानों का अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा, एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओ का चयन किया जायेगा। वैसे प्रतिष्ठान जो पूर्व से **Act** के अन्तर्गत निबंधित है **Vacancy** के साथ भाग ली जाय, एवं जिन प्रतिष्ठानों के पास **Vacancy** नही है, उन्हें प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने हेतु भाग लेना सुनिश्चित की जाय।

अतएव उपर्युक्त जिलों में अवस्थित एक्ट के अंतर्गत आने वाले, **MSME/Manufacturing Sector/Service Sector**/एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान / उपक्रम यथा– होटल / रेस्टोरेंट / शॉपिंग मॉल / हॉस्पिटल / कोचिंग सेन्टर / ऑथोराईज्ड सर्विस सेन्टर / बैंक इत्यादि को निदेश दिया जाता है कि अपने प्रतिष्ठान में अप्रेन्टिसशिप रिक्तियों के साथ संबंधित **Centre co-ordinator** से सम्पर्क स्थापित कर मेले में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– 05 / प्रशि0 (शिक्षु)–01–2022 **Part-III** – 130 राँची, दिनांक 30/1/23

प्रतिलिपिः– संबंधित **Centre co-ordinators** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निदेशालय पत्रांक 106 दिनांक 20.01.2023 के अनुसार प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे, एवं मेला में रिक्तियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।
राँची, दिनांक 30/1/23

ज्ञापांकः– 05 / प्रशि0 (शिक्षु)–01–2022 **Part-III** – 130

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, **RDSDE** झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आपके अन्तर्गत प्रतिष्ठानों को उपर्युक्त मेले में भाग लेना सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

उप निदेशक प्रशिक्षण (मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।